

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर झाड़सर कांघलान

अनुवान अजय सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 204/2025

निर्णय दिनांक

अजय सिंह पुत्र फूल सिंह जाति जाट नियासी झाड़सर कांघलान तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर झाड़सर कांघलान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 57 खसरा सं. 195 तादादी 5.8167 हैक्ट., खसरा नं. 400 तादादी 0.2529 हैक्ट., खसरा नं. 448 तादादी 6.7904 हैक्ट. खसरा नं. 454 तादादी 7.7261 व खाता संख्या 96 खसरा सं. 732/227 तादादी 3.7556 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम झाड़सर कांघलान में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमशः अजय पुत्र फूलसिंह व अजयसिंह पुत्र फूलसिंह दर्ज है जो कि गलत है सही नाम अजय सिंह पुत्र फूल सिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम अजय सिंह किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम झाड़सर कांघलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 57 खसरा सं. 195 तादादी 5.8167 हैक्ट., खसरा नं. 400 तादादी 0.2529 हैक्ट., खसरा नं. 448 तादादी 6.7904 हैक्ट. खसरा नं. 454 तादादी 7.7261 व खाता संख्या 96 खसरा सं. 732/227 तादादी 3.7556 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः अजय व अजयसिंह Delete कर इसके स्थान पर अजय सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.25 को कैम्प कोर्ट झाड़सर कांघलान में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)